रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 258] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 1984/आषाढ़ 20, 1906
No. 258] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 1984/ASADHA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1984

सं. 198/84-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 508(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के शीर्ष सं. 21 के अन्तर्गत आने वाले खारा और सूखी घास को, जब उनका निर्यात भारत के बाहर समुद्र यात्रा के दौरान जीवित जीव-जन्तुओं के साथ उनके उपभोग के लिए युक्ति-

युक्त मात्रा में किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, "युक्तियुक्त मात्रा" से ऐसी मात्रा अभिप्रेत है जो समुचित अधिकारी द्वारा, जलयान या वायुयान के आकार, जीव-जंतुओं की प्रकृति, जीव-जंतुओं की संख्या और उस समुद्र यात्रा या यात्रा की समयावधि को, जिस पर जलयान या वायुयान को प्रस्थान करना है, ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाए ।

[फा. सं. 356/10/83-सीमा-शुल्क-1]

एम. एन. बिस्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 1984

No. 198|84-CUSTOMS

G.S.R. 508(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts fodder and hay, falling under Heading No. 21 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India in reasonable quantities alongwith live animals for their consumption during the course of voyage, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule.

Explanation :—For the purposes of this notification, "reasonable quantities" means such quantities as may be determined by the proper officer, having regard to the size of the vessel or aircraft, the nature of animals, numbers of animals and the length of the voyage or journey on which the vessel or aircraft is about to depart.

[F. No. 356|10|83-CUS. I]

M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984